



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257094
CG-DL-E-12092024-257094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/ भाद्र 21, 1946

No. 524]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/ BHADRA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सा. का. नि. 566 (अ) .—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 15 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम 2000 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;
(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से नियम 3 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;
(ग) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शमन प्राधिकारी को यथास्थिति नियम 4 के उपनियम 4 या नियम 5 के उपनियम 4 के अधीन आवेदन करता है ;

(घ) "शमन आदेश" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 में यथा विनिर्दिष्ट किसी उल्लंघन के शमन लिए जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उनका है ।

3. **शमन प्राधिकारी-** प्रवर्तन निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत निम्नलिखित अधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए शमन प्राधिकारी होंगे, अर्थात्-

(क) प्रवर्तन निदेशालय का एक अधिकारी जो उप निदेशक या उप विधिक सलाहकार की पंक्ति से नीचे का न हो ; या

(ख) रिजर्व बैंक का एक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

4. **विभिन्न उल्लंघनों का शमन करने के लिए रिजर्व बैंक के शमन प्राधिकारी-** (1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के उल्लंघन के सिवाय अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो,-

(क) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि साठ लाख रूपए से अधिक नहीं है तब ऐसा अधिकारी जो रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं है;

(ख) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि ढाई करोड़ रूपए से अधिक नहीं है तब ऐसा अधिकारी जो रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं है;

(ग) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है तब ऐसा अधिकारी जो रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं है;

(घ) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि पांच करोड़ रूपए से अधिक है तब ऐसा अधिकारी जो रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं है;

इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे उल्लंघन का शमन कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा कारित उल्लंघन को जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो जिसको उसके द्वारा कारित किया गया वैसा ही उल्लंघन इन नियमों के अधीन शमन किया गया था लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई दूसरा या पश्चातवर्ती उल्लंघन जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात किया गया है जिसको उल्लंघन का पहले ही शमन कर दिया गया था प्रथम उल्लंघन समझा जाएगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन किसी उल्लंघन का शमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) इस नियम के अधीन किसी उल्लंघन का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन, शमन प्राधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्रॉफ्ट या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) या भुगतान की अन्य अनुज्ञ इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रीति द्वारा यथा लागू माल और सेवा कर के साथ दस हजार रूपए की फीस के साथ, विदेशी मुद्रा विभाग रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में किया जाएगा ।

(5) **विभिन्न उल्लंघनों का शमन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के शमन प्राधिकारी-** (1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के उपबंध का उल्लंघन करता है तो,-

(क) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि पांच लाख रूपए या उससे कम है तो प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा ;

- (ख) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि पांच लाख रूपए से अधिक है किन्तु दस लाख रूपए से कम है तब प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक द्वारा ;
- (ग) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि दस लाख रूपए या उससे अधिक है किन्तु पचास लाख रूपए से कम है तब प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक द्वारा ;
- (घ) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि पचास लाख रूपए या उससे अधिक है किन्तु एक करोड़ रूपए से कम है तब प्रवर्तन निदेशालय के उप विधिक सलाहकार के साथ विशेष निदेशक द्वारा ; और
- (ङ) ऐसे मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में सम्मिलित राशि एक करोड़ रूपए या उससे अधिक है तब प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक के साथ प्रवर्तन निदेशक द्वारा

इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे उल्लंघन का शमन किया जा सकेगा ।

(2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा कारित उल्लंघन को जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो जिसको उसके द्वारा कारित किया गया वैसा ही उल्लंघन इन नियमों के अधीन शमन किया गया था लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई दूसरा या पश्चातवर्ती उल्लंघन जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात किया गया है जिसको उल्लंघन का पहले ही शमन कर दिया गया था प्रथम उल्लंघन समझा जाएगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रवर्तन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन किसी उल्लंघन का शमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) इस नियम के अधीन किसी उल्लंघन के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में यथास्थिति, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को दस हजार रूपए तथा माल और सेवा कर के साथ, जैसा शमन प्राधिकारी के पक्ष में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) या भुगतान के अन्य स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक या संदाय की आन लाइन पद्धति से मांग करके जमा करना होगा।

6. न्यायनिर्णयन का बंद किया जाना- जहां कोई उल्लंघन धारा 16 के अधीन ऐसे उल्लंघन के न्यायनिर्णयन से पूर्व शमन किया जाता है, यथास्थिति, वहां ऐसे व्यक्ति जिसके संबंध में वह उल्लंघन इस प्रकार शमन किया गया है, न्यायनिर्णयन के लिए, कोई जांच या आगे की जांच आरंभ या जारी नहीं की जाएगी।

7. उल्लंघन के शमन पर उन्मोचन- जहां उल्लंघन का शमन धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत किए जाने के पश्चात किया जाता है, वहां नियम 4 या नियम 5 में विनिर्दिष्ट शमन प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के ध्यान में शमन लाया जाएगा और ऐसी नोटिस पर वह व्यक्ति, जिसके संबंध में उल्लंघन का शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

8. शमन हेतु प्रक्रिया (1) शमन प्राधिकरण, विहित प्ररूप में दिए गए विवरणों के अतिरिक्त, यह अपेक्षा कर सकेगा कि शमन कार्यवाही से संबंधित कोई सूचना, अभिलेख या कोई दस्तावेज उसके समक्ष रखा जाए और यदि आवश्यक हो तो आवेदक से उल्लंघन के संबंध में किए गए लेन-देन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) शमन प्राधिकारी, यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रवर्तन निदेशालय में सभी प्रकार से पूर्ण विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, यथाशीघ्र, किन्तु ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक समय के भीतर शमन आदेश देगा।

9. कतिपय मामलों में उल्लंघनों का शमन नहीं किया जाएगा- कोई उल्लंघन शमनीय नहीं होगा,-

(क) जहां अंतर्वलित राशि परिमाणात्मक नहीं है; या

(ख) जहां अधिनियम की धारा 37क के उपबंध लागू होते हैं, या

(ग) जहां प्रवर्तन निदेशालय का यह विचार है कि कार्यवाही धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण या राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने के संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित है, वहां शमन प्राधिकारी कार्यवाही नहीं करेगा और मामले को धारा 13 के अधीन उल्लंघन का न्यायनिर्णयन करने वाले उपयुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को भेज देगा; या

(घ) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 13 के अधीन जुर्माना लगाने का आदेश पहले ही पारित कर दिया है; या

(ङ) जहां शमन प्राधिकारी का यह विचार है कि अधिनियम की धारा 13 के अधीन उल्लंघन का पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे जांच की आवश्यकता है।

10. शमन राशि का भुगतान- वह राशि जिसके लिए नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन शमन आदेश में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लंघन शमनीय है, का भुगतान ऐसे उल्लंघन के लिए शमन आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर शमन प्राधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), या भुगतान के ऐसे अन्य अनुमत इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रीति द्वारा किया जाएगा।

11. शमन राशि का भुगतान करने में विफलता के परिणाम- यदि कोई व्यक्ति उस नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नियम 10 के अनुसार शमन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह समझा जाएगा कि इस नियम के अधीन उसने कभी किसी उल्लंघन के शमन के लिए आवेदन नहीं किया है और अधिनियम के उपबंध उल्लंघन के लिए उस पर लागू होंगे।

12. शमन प्राधिकारी के आदेश की विषय-वस्तु-(1) प्रत्येक शमन आदेश में अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों, निदेशों, अपेक्षित या आदेशों के उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में अधिकथित उल्लंघन के व्योरे के साथ रखा गया है।

(2) प्रत्येक शमन आदेश पर तारीख अंकित होगी तथा शमन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी।

13. शमन आदेश की प्रति- नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन पारित शमन आदेश की एक-एक प्रति आवेदक और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

14. लंबित कार्यवाही जारी रखना - कोई भी शमन आवेदन इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से यहां इसमें अधिक्रांत किए गए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 के उपबंध द्वारा शासित किया जाएगा।

प्ररूप

[नियम 4(4), 5(4) और 8 देखें]

(प्ररूप के साथ उल्लंघन ज्ञापन की प्रति, यदि कोई हो, संलग्न होगी)

1. आवेदक का नाम

(बड़े अक्षरों में)

2. आवेदक का विवरण

(क) पूरा पता)

(ख) फ़ोन नंबर:

(ग) ई-मेल आईडी:

(यदि आवेदक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो आवेदक का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पदनामप्रदान करें)

(घ) आयकर पैन:

(ड) ईसीएस अधिदेश:

(i) पार्टी का नाम (लाभार्थी) -	
(ii) पैन -	
(iii) बैंक खाते का विवरण -	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा का नाम	
पता:	
टेलीफोन नंबर:	
ग. खाते का प्रकार -	बचत <input type="checkbox"/> चालू <input type="checkbox"/>
घ. खाता संख्या: -	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)
ड. 9 अंकीय एमआईसीआर कोड संख्या:	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)
च. आईएफएससी कोड	(जैसा चेकबुक पर दिखाई दे रहा है)

(iv). संलग्नक के लिए चेक लिस्ट (कृपया टिक करें)

पैन कार्ड की फोटोकॉपी

रद्द बैंक चैक की फोटोकॉपी

(v) मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं। यदि संव्यवहार अपूर्ण या गलत जानकारी के सही न होने के कारण से विलंबित या अप्रभावी होता है, मैं/हम उपरोक्त संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

स्थान :

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)

शासकीय स्टांप

(च) माल और सेवा कर पहचान संख्यांक :

3. क्या आवेदक भारत का निवासी या भारत के बाहर का निवासी है (कृपया अधिनियम की धारा 2 (V) में देखें)

4. क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अपील) नियम 2000 के नियम 4 के अधीन कोई सूचना जारी की गई है : हां/नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करे :

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम, यदि कोई हो :

(ख) सूचना जारी करने की तारीख (सूचना की प्रति संलग्न करें) :

(ग) क्या सूचना में उल्लेख है कि उल्लंघन को अधिनियम की धारा 37क, या धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू होती है ? हां/नहीं

(घ) क्या न्यायनिर्णयन आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पहले ही पारित किया गया है? हां/नहीं

5. उल्लंघन के विशेष ब्यौरे (अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार) :

(क) अधिनियम:

(ख) नियम:

(ग) विनियम:

(घ) अधिसूचना:

(ङ) अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेश:

(च) वह शर्तें जिसके अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत करना जारी किया गया था:

6. क्या इन नियमों के अधीन शमन करने के लिए आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध शमन आदेश पारित किया गया था? हां/नहीं

यदि हां, कृपया पूर्ववर्ती शमन आदेश के विषय में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :

(क) शमन के लिए आवेदन की तारीख :

(ख) ऐसे उल्लंघन जिनका शमन किए जाने की ईप्सा की गई थी :

(ग) शमन आदेश की तारीख :

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित रकम के संदाय पर जारी किए गए प्रमाणपत्र की तारीख :

7. मामले के संक्षिप्त तथ्य :

8. शमन के आवेदन के लिए फीस के ब्यौरे :

9. प्रवर्तन निदेशालय के अन्वेषण पर वचनबद्ध :

मैं/हम यह और वचन देते हैं कि नियम 4 में विहित शमन प्राधिकारी को लिखित में तुरंत सूचित करेंगे यदि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध कोई अन्वेषण कार्यवाही आरंभ की जाती है या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु मेरे/हमारे द्वारा फाईल किए गए शमन आवेदन के संबंध में शमन आदेश जारी होने की तारीख को या उससे पूर्व न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया जाता है।

10. मामले से सुसंगत कोई अन्य जानकारी :

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम मेरे/हमारे मामले के शमन के संबंध में शमन प्राधिकारी के किसी निदेश/आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[फा. सं. 1/10/2023-ई एम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024.

G.S.R. 566 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 46 read with sub-section (1) of section 15 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
 - (b) “authorised officer” means an officer authorised under rule 3;
 - (c) “applicant” means a person who makes an application under sub-rule (4) of rule 4 or, as the case may be, sub-rule (4) of rule 5 to the compounding authority;
 - (d) “compounding order” means an order issued for compounding a contravention as specified in sub-section (1) of section 15 of the Act;
 - (e) “prescribed Form” means the Form annexed to these rules;
 - (f) “section” means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Compounding authority.** - The Director of Enforcement or any of the following officers authorised by the Central Government shall be the compounding authority for the purposes of these rules, namely :-

- (a) an officer of the Directorate of Enforcement not below the rank of Deputy Director or Deputy Legal Adviser; or
- (b) an officer of the Reserve Bank not below the rank of the Assistant General Manager.

4. **Compounding authorities of Reserve Bank to compound various contraventions.** - (1) If any person contravenes any provision of the Act, other than a contravention of clause (a) of section 3 thereof,-

- (a) in a case, where the sum involved in such contravention does not exceed sixty lakh rupees, an officer not below the rank of the Assistant General Manager of the Reserve Bank;
- (b) in a case, where the sum involved in such contravention does not exceed two and a half crore rupees, an officer not below the rank of the Deputy General Manager of the Reserve Bank;
- (c) in a case, where the sum involved in such contravention does not exceed five crore rupees, an officer not below the rank of the General Manager of the Reserve Bank; and
- (d) in a case, where the sum involved in such contravention is above five crore rupees, an officer not below the rank of the Chief General Manager of the Reserve Bank,

may compound such contravention in accordance with the provisions of these rules.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to a contravention committed by any person within a period of three years from the date on which a similar contravention committed by him was compounded under these rules.

Explanation.- For the purposes of this rule, any second or subsequent contravention committed after the expiry of a period of three years from the date on which the contravention was previously compounded shall be deemed to be a first contravention.

(3) Every officer of the Reserve Bank specified under sub-rule (1) shall exercise the powers to compound any contravention subject to the direction, control and supervision of the Governor of the Reserve Bank.

(4) Every application for compounding any contravention under this rule shall be made in the prescribed Form to the Foreign Exchange Department, Reserve Bank, along with a fee of ten thousand rupees plus goods and services tax, as applicable, by demand draft, or National Electronic Fund Transfer (NEFT), or other permissible electronic or online modes of payment, in favour of the compounding authority.

5. **Compounding authorities of Directorate of Enforcement to compound various contraventions.** - (1) If any person contravenes the provisions of clause (a) of section 3 of the Act,-

- (a) in a case, where the sum involved in such contravention is five lakh rupees or below, by the Deputy Director of the Directorate of Enforcement;
- (b) in a case, where the sum involved in such contravention is more than five lakh rupees but less than ten lakh rupees, by the Additional Director of the Directorate of Enforcement;
- (c) in a case, where the sum involved in the contravention is ten lakh rupees or more but less than fifty lakh rupees, by the Special Director of the Directorate of Enforcement;
- (d) in a case, where the sum involved in the contravention is fifty lakh rupees or more but less than one crore rupees, by the Special Director along with the Deputy Legal Adviser of the Directorate of Enforcement; and
- (e) in a case, where the sum involved in such contravention is one crore rupees or more, by the Director of Enforcement along with the Special Director of the Directorate of Enforcement,

may compound such contravention in accordance with the provisions of these rules.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to a contravention committed by any person within a period of three years from the date on which a similar contravention committed by him was compounded under these rules.

Explanation. - For the purposes of this rule, any second or subsequent contravention committed after the expiry of a period of three years from the date on which the contravention was previously compounded shall be deemed to be a first contravention.

(3) Every officer of the Directorate of Enforcement specified under sub-rule (1) shall exercise the powers to compound any contravention subject to the direction, control and supervision of the Director of Enforcement.

(4) Every application for compounding any contravention under this rule shall be made in the prescribed Form to the Director, Directorate of Enforcement, New Delhi along with a fee of ten thousand rupees plus goods and services tax, as applicable, by demand draft, or National Electronic Fund Transfer (NEFT), or other permissible electronic or online modes of payment, in favour of the compounding authority.

6. **Discontinuation of adjudication.** - Where any contravention is compounded before the adjudication of such contravention under section 16, no inquiry or further inquiry shall be initiated or continued, as the case may be, for adjudication of such contravention against the person in relation to whom that contravention is so compounded.

7. **Discharge on compounding of contravention.** - Where the compounding of any contravention is made after making of a complaint under sub-section (3) of section 16, such compounding shall be brought by the compounding authority specified in rule 4 or rule 5, in writing, to the notice of the Adjudicating Authority and on such notice, the person in relation to whom the contravention is so compounded shall be discharged.

8. **Procedure for compounding.** - (1) The compounding authority may, in addition to the particulars provided in the prescribed Form, call for any information, record or any other documents relevant to the compounding proceeding to be placed before it and may, if necessary, require the applicant to take such action as may be necessary with respect transactions involved in the contravention.

(2) The compounding authority shall, on receipt of the application in the prescribed Form complete in all respects at the Reserve Bank or, as the case may be, the Directorate of Enforcement, after affording an opportunity of being heard to the applicant, pass compounding order as expeditiously as possible but not later than one hundred and eighty days from the date of receipt of such application.

9. **Contraventions not to be compounded in certain cases.** - No contravention shall be compounded, -

- (a) where the amount involved is not quantifiable; or
- (b) where the provisions of section 37A of the Act are applicable; or
- (c) where the Directorate of Enforcement is of the view that the proceeding relates to a serious contravention suspected of money-laundering, terror financing or affecting the sovereignty and integrity of the nation, the compounding authority shall not proceed with the matter and shall remit the case to the appropriate Adjudicating Authority for adjudicating contravention under section 13; or
- (d) where the Adjudicating Authority has already passed an order imposing penalty under section 13 of the Act; or
- (e) where the compounding authority is of the view that the contravention involved requires further investigation by the Directorate of Enforcement to ascertain the amount of contravention under section 13 of the Act.

10. **Payment of amount compounded.** - The sum for which the contravention is compounded as specified in the compounding order under sub-rule (2) of rule 8, shall be paid by demand draft or National Electronic Fund Transfer (NEFT), or Real Time Gross Settlement (RTGS), or such other permissible electronic or online modes of payment, in favour of the compounding authority within fifteen days from the date of the compounding order for such contravention.

11. **Consequences of failure in paying sum compounded.** - In case a person fails to pay the sum compounded in accordance with rule 10 within the time specified in that rule, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any contravention under these rules, and the provisions of the Act for contravention shall apply to him.

12. **Contents of order of Compounding Authority.** - (1) Every compounding order shall specify the provisions of the Act or the rules or the regulations, directions, requisitions or orders made thereunder in respect of which contravention has taken place along with details of the alleged contravention.

(2) Every compounding order shall be dated and signed by the compounding authority under his seal.

13. **Copy of compounding order.** - One copy each of the compounding order passed under sub-rule (2) of rule 8 shall be provided to the applicant and the Adjudicating Authority.

14. **Continuation of pending proceedings.** - Any compounding application pending before the compounding authority, on the date of commencement of these rules, shall be governed by the provisions of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 superseded herein.

Form

[See rules 4(4), 5(4) and 8]

(The Form shall be accompanied by copy of the memorandum of contravention(s) issued, if any)

1. Name of the applicant

(in block letters)

2. Details of the applicant

(a) Full address:

(b) Phone No:

(c) E-mail ID:

(if the applicant is a person other than an individual, also provide name, address, phone no., email ID and designation of the authorised representative of the applicant)

(d) Income Tax PAN:

(e) ECS mandate:

(i) Name of the Party (Beneficiary)	-
(ii) PAN	-
(iii) Particulars of the Bank Account	-
A. Name of the Bank	-
B. Name of the Branch	-
Address:	
Telephone No:	-
C. Type of Account	- SAVINGS <input type="checkbox"/> CURRENT <input type="checkbox"/>
D. Account No. :	- (As appearing on the cheque book issued by the Bank)
E. The 9 Digit MICR Code Number:	- (As appearing on the cheque book issued by the Bank)
F. IFSC Code	- (As appearing on the cheque book issued by the Bank)

(iv) Checklist for Attachments (kindly tick):

Photocopy of PAN Card

Photocopy of a cancelled blank cheque

(v) I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the user institution responsible.

Date :

Signature of the Authorised Signatory

Place :

(Name of the Authorised Signatory)

Official Stamp

- (f) Goods and Services Tax Identification Number:
3. Whether the applicant is resident in India or resident outside India (please refer to section 2(v) of the Act):
4. Whether any notice has been issued under rule 4 of the Foreign Exchange Management (Adjudication Proceedings and Appeal) Rules, 2000: Yes/No
- If yes, then furnish the following details:
- (a) Name of the adjudicating authority, if any:
- (b) Date of issue of notice (attach a copy of the notice):
- (c) Whether the notice mentions that the contravention attracts the provisions contained in section 37A, or clause (a) of section 3 of the Act? Yes/No
- (d) Whether an adjudication order has already been passed by the adjudicating authority? Yes/No
5. Specific details of the contravention (according to sub-section (1) of section 13 of the Act):
- (a) Act:
- (b) Rules:
- (c) Regulations:
- (d) Notifications:
- (e) Order issued in exercise of the powers under the Act:
- (f) Condition subject to which an authorisation was issued by the Reserve Bank:
6. Whether a compounding order had been passed against an application submitted previously by the applicant for compounding under these rules? Yes/ No
- If yes, kindly furnish the following details about the previous compounding order:
- (a) Date of application for compounding:
- (b) Contravention(s) sought to be compounded:
- (c) Date of compounding order:
- (d) Date of certificate issued by Reserve Bank on payment of amount imposed:
7. Brief facts of the case:
8. Details of fee for application of compounding:
9. Undertaking on Directorate of Enforcement investigation:
- I/We further undertake to immediately inform in writing, the compounding authority prescribed in rule 4, if any investigation proceedings are initiated by the Directorate of Enforcement against me/us or the adjudication order is passed by the adjudicating authority at any time hereafter, but on or before the date of issuance of the compounding order in respect of the compounding application filed by me/us.
10. Any other information relevant to the case:
- I/We declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that I/we am/are willing to accept any direction/order of the compounding authority in connection with compounding of my/our case.

Date:

(Signature of applicant)

[F. No. 1/10/2023-EM]
SURBHI JAIN, Jt. Secy.